"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 296] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2013—आषाढ़ 25, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 25, 1935)

क्रमांक-8776/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) जो मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 18 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह अधिनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूलभूत नियम 56 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) की धारा 2 में, मूलभूत नियम के नियम 56 में निम्नलिखित संशोधन समाविष्ट किया जाये, अर्थात् :—

(एक) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप-नियम (1-क), (1-ख), (1-ग), (1-घ), (1-ङ) एवं (1-च) में उल्लिखित शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक उस मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु उपरोक्त वर्णित शासकीय सेवक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपरान्ह में, सेवानिवृत्त हो जाएगा."

(दो) उप-नियम (1-क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1-क) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप-नियम (1-घ) एवं (1-ङ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपरान्ह में, सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु उपरोक्त वर्णित शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा.

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "शासकीय शिक्षक" से अभिप्रेत है, उप-नियम (1-घ) एवं (1-ङ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न ऐसा कोई शासकीय शिक्षक, चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जो किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजनार्थ, ऐसी नियुक्ति को लागू, भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया हो और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो, किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो और जो बीस वर्ष से अन्यून अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो."

(तीन) उप-नियम (1-ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1-ग) (क) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, जो छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी "पशु चिकित्सा" पद पर नियुक्त हुआ हो, वह सेवा से उस मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जायेगा, जिसमें वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें.

परन्तु उपरोक्त वर्णित नियम का उपरोक्त वर्णित सदस्य जिसकी जन्म तिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा.

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए "छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जो पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में, ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियम के अनुसार, नियुक्त किया गया हो और उसमें ऐसा पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा जो किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो और जिसने बीस वर्ष से अन्यून पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

(ख) खण्ड (क) में अधिवार्षिकी आयु में साठ वर्ष से बासठ वर्ष की गई वृद्धि दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से लागू हुई समझी जाएगी."

(चार) उप-नियम (1-घ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1-घ) (क) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा (सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक को छोड़कर) का सदस्य जिसकी नियुक्ति, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर हुई हो और छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य जिसकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी आयुर्वेद शिक्षक के पद पर हुई हो, वह उस मास के, जिसमें वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु उक्त नियम का उपरोक्त वर्णित सदस्य, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा.

स्पष्टीकरण-1— इस उप नियम के प्रयोजन के लिये "छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के

अनुसार की गई हो और उसमें ऐसा चिकित्सा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो और जो बीस वर्ष से अन्यून अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते वह संबंधित चिकित्सा शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

स्पष्टीकरण-2—इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए "छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो और उसमें ऐसा आयुर्वेद शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो और जो बीस वर्ष से अन्यून अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते वह संबंधित आयुर्वेद शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

(ख) खण्ड (क) में, अधिवार्षिकी आयु में बासठ वर्ष से पैंसठ वर्ष की, की गई वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से लागू समझी जाएगी."

(पांच) उप-नियम (1-ङ) को उसके खण्ड (क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(ख) खण्ड (क) में, अधिवार्षिकी आयु में बासठ वर्ष से पैंसठ वर्ष की, की गई वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से लागू समझी जाएगी."

(छः) उप-नियम (1-ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(1-च) (क) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, जिसकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर हुई हो एवं छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य जिसकी नियुक्ति, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर हुई हो, छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का प्रत्येक सदस्य जिसकी नियुक्ति, छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1981 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर हुई हो तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य जिसकी नियुक्ति, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित सामान्य कर्त्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक के पद पर हुई हो वह उस मास के, जिसमें वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जायेगा:

परन्तु उपरोक्त वर्णित सेवाओं के उपरोक्त वर्णित पदों के सदस्य, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के

अंतिम दिन के अपरान्ह में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा.

स्पष्टीकरण-1— इस उप नियम के प्रयोजन के लिये "छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य", "छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य", "छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का कोई सदस्य" तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के अनुसार की गई है और उसमें ऐसा चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित है, जो किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) अथवा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

(ख) खण्ड (क) के उपबंध, दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से लागू हुई समझी जाएगी."

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रदेश में चिकित्सकों की अत्यंत कमी है, जिसके फलस्वरूप सुदूर ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने में राज्य शासन को कठिनाई हो रही है. राज्य में चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा स्वास्थ्य, आयुष एवं कर्मचारी राज्य बीमा सेवा के चिकित्सकों की अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष करने एवं इस उद्देश्य के लिए छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 6 जुलाई, 2013

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) में संशोधन हेतु संबंधित धाराओं का सुसंगत उद्धरण—

धारा 2- **मूलभूत नियम में संशोधन—**

56 अधिवार्षिकी आयु—

(1-क) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक शासकीय शिक्षक उप-नियम (1-ङ) में विनिर्दिष्ट से भिन्न उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु कोई शासकीय शिक्षक, जिसकी जन्म तिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा.

स्पष्टीकरण— इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "शिक्षक" से अभिप्रेत है कोई ऐसा शासकीय सेवक, चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय शिक्षा संस्था में, जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा संस्था भी है, अध्यापन के प्रयोजनार्थ उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई है, जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं, और उसके अंतर्गत ऐसा शिक्षक भी होगा जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया है, और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो, बशर्ते वह सम्बद्ध "स्कूल/महाविद्यालयीन/तकनीकी" शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

* * * * * * * * * * * * * *

(1-ग) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, तथा छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी "पशु चिकित्सा" पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) का प्रत्येक सदस्य उस मास के, जिसमें वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें अंतिम दिन के अपरान्ह: में सेवानिवृत्त हो जायेगा:

परन्तु छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का ऐसा सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का ऐसा सदस्य तथा छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी "पशु चिकित्सा" पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) का ऐसा सदस्य जिसकी जन्म तिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह: में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा.

स्पष्टीकरण-1— इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य" तथा "छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति भर्ती नियमों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में की गई है और इसमें ऐसा चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित है, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जिसने कम से कम बीस वर्षों तक चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा अथवा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

स्पष्टीकरण-2— इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति भर्ती नियम के अनुसार पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में की गई है और इसमें ऐसा पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित है, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासकीय पद पर नियुक्त किया गया हो और जिसने कम से कम बीस वर्षों तक पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

(1-घ) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 **की अनुसूची**-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ **चिकित्सा शिक्षा** (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई **सदस्य, (सामान्य** कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक **अधीक्षक तथा** दन्त शल्य चिकित्सक को छोड़कर) **तथा छत्तीसगढ़** लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 की अनुसूची-एक में **उल्लेखित किसी** आयुर्वेद शिक्षक के पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य उस मास के, जिसमें वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का कोई सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय का सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक, उस मास के, जिसमें वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जायेगा और यदि उसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो तो पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा:

परन्तु यह और कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य, (सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक को छोड़कर) तथा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 की अनुसूची-एक में उल्लेखित किसी आयुर्वेद शिक्षक के पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा.

परंतु यह और भी कि 01 अप्रैल, 2007 और इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान (चिकित्सक अथवा चिकित्सा शिक्षक की) मृत्यु होने पर इस अधिनियम का लाभ प्राप्त नहीं होगा.

स्पष्टीकरण-1— इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं और उसमें ऐसा चिकित्सा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते वह संबंधित चिकित्सा शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो."

स्पष्टीकरण-2— इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं और उसमें ऐसा आयुर्वेद शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते वह संबंधित आयुर्वेद शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो."

(1-ङ) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ शासकीय महाविद्यालय, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, शासकीय पॉलीटेक्निक संस्था, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के शिक्षक संवर्ग का ऐसा सदस्य एवं राज्य शासन के नर्सिंग शिक्षण संस्था में नर्सिंग प्राध्यापक वर्ग का नर्सिंग में एम.एस.सी. सदस्य, जो केवल क्लासरूम (कक्षा) शिक्षण कार्य में लगा हो तथा जो गैर-शिक्षकीय अथवा प्रशासकीय पद को धारित न कर रहा हो, उस माह के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जायेगा:

परन्तु शिक्षक संवर्ग का ऐसा सदस्य जो शैक्षणिक पद पर धारणाधिकार रखता हो तथा जो प्रशासकीय पद को धारित कर रहा है, यदि पैंसठ वर्ष की आयु तक सेवा करना चाहता है तो उसे शिक्षकीय पद पर नियुक्ति हेतु विकल्प देना होगा:

परन्तु यह और कि शिक्षक संवर्ग का ऐसा सदस्य जो इस उप-नियम के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होता है, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा."

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "क्लासरूम (कक्षा) शिक्षण" का अर्थ होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52), दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16), भारतीय नर्सिंग कौंसिल अधिनियम, 1947 (1947 का 48), के अंतर्गत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत यथा प्राधिकृत कोई उपाधि या किसी अन्य अर्हता को प्रदान करने के लिए अग्रसर होते हुए किसी विषय या संकाय में पाठ्यक्रम या अध्ययन के कार्यक्रम का कक्षा में विद्यार्थियों को अध्यापन (शिक्षण).

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.